फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– आल्हाद निवृति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या। 77/2024 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमति गोविन्द कंवर पत्नि भंवर सिंह कानावत निवासी हाथीपुरा तहसील कोटडी हॉल तह0 सवाईपुर जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीया

बनाम

1. मनोहर लाल पिता देवीलाल दरोगा निवासी हाथीपुरा तहसील कोटडी हाल तह0 सवाईपुर जिला भीलवाडा।
2. शंकर लाल पिता देवीलाल दरोगा निवासी हाथीपुरा तहसील कोटडी हाल तह0 सवाईपुर जिला भीलवाडा।
3. रामु पुत्री देवीलाल दरोगा पत्नि नन्दलाल निवासी बडामहुआ तहसील व जिला भीलवाडा।
4. काली पुत्री देबीलाल दरोगा पत्नि चम्पालाल निवासी त्रिवेणी तहसील माण्डलगढ।
5. सम्पति पुत्री देबीलाल दरोगा पत्नि भंवरलाल निवासी सिंगोली तहसील माण्डलगढ।
6. शाखा प्रबन्धक बीओबी शाखा बनकाखेडा तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी हॉल तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।

— विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट ::

13.05.2024

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया ने एक वादपत्र मजबूत आधारो पर प्रस्तुत किया हे जिसके निस्तारण में समय लगने की पूर्ण सम्भावना है। दौराने वाद विवादित आराजियात को विपक्षीगण खुर्द बुर्द रहन, बयबक्षीस कर हस्तानान्तरित कर सकते है, इस कारण यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हे। वादग्रस्त ग्राम हाथीपुरा प0ह0 गेगाकाखेडा भूअ0नि0 आकोला तहसील कोटडी हॉल तहसील सवाईपुर में स्थित आराजी संख्या 24, 79, 92, 114, कुल किता 04 क्षैत्रफल 1.0586 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर उक्त आराजियात में प्रार्थीया ने सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा स्व0 देबीलाल से कय किया एवं आराजी नम्बर 129 क्षैत्रफल 0.0216 हैक्टेयर प्रार्थीया ने सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा स्व0 देबीलाल से कय शुदा भूमि का कब्जा भी प्रार्थीया ने विकेता देबीलाल से प्राप्त कर लिया, लेकिन उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बैंक के नाम पर रहन दर्ज होने से नामान्तरण नही खोला गया, विकेता देबीलाल की मृत्यु दिनांक 15.02.2024 को हो गई, देबीलाल की मृत्यु के बाद विपक्षीगण के नाम पर नामान्तरण नही खुला हे जबकि प्रार्थीया रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की अधिकारी है। वादग्रस्त आराजियात को विपक्षीगण अन्य को हस्तानान्तरण कर सकते है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रकरण में आज ही सुनवाई की जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर एकपक्षीय सुनवाई करने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओ व तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजियात के संबंध में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि उक्त विवादित आराजियात से प्रार्थीया को बेदखल नही करे न ही अन्य किसी व्यक्ति से करावे मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया गया, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया ने वादग्रस्त ग्राम हाथीपुरा प0ह0 गेगाकाखेडा भूअ0नि0 आकोला तहसील कोटडी हॉल तहसील सवाईपुर में स्थित आराजी संख्या 24, 79, 92, 114, कुल किता 04 क्षैत्रफल 1.0586 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर उक्त आराजियात में प्रार्थीया ने सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा स्व0 देबीलाल से कय किया एवं आराजी नम्बर 129 क्षैत्रफल 0.0216 हैक्टेयर प्रार्थीया ने सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा स्व0 देबीलाल से रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22.06.2021 से कय कर देबीलाल से कब्जा प्राप्त किया विपक्षीगण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा होने से प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में विरूद्व विपक्षीगण अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित प्रतीत होता है अतःएवं

आदेश

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में ग्राम हाथीपुरा प0ह0 गेगाकाखेडा भूअ0नि0 आकोला तहसील कोटडी हॉल तहसील सवाईपुर में स्थित आराजी संख्या 24, 79, 92, 114, कुल किता 04 क्षैत्रफल 1.0586 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर उक्त आराजियात में प्रार्थीया ने सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा स्व0 देबीलाल से कय किया एवं आराजी नम्बर 129 क्षैत्रफल 0.0216 हैक्टेयर प्रार्थीया ने सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा स्व0 देबीलाल से रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22.06.2021 से कय किया उपरोक्त आराजियात के संबंध में विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाइ निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विपक्षीगण उपरोक्त आराजियात की मौके व रेकार्ड की आगामी पेशी दिनांक 12.06.2024 तक यथास्थिति बनाये रखी जावे। विपक्षीगण के रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

12/6/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में है। पत्रावली वास्ते आदेश
दिनांक 23/9/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

Nxt Pvsd 12/9/24

प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र शीघ्र सुनवाई हेतु पत्रावली तलब की गई। प्रार्थीया स्वयं उपस्थित है प्रार्थीया की पहचान कादिया अधिवक्ता द्वारा की गई है प्रकरण में नोट पेश अंकित किया है अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA में दिनांक 13/5/2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध विपक्षीगण समाप्त की जाती है प्रकरण कोमल कुमार केशर नरुका से कम किया जावे

ग्राम विजय नगर

1 Parties

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा